Demonstration by Railway Employees before Divisional Superintendent's Office, Dhanbad

977. SHRI B. K. MODAK : Will the Minister of RAILWAYS (RAIL MANTRI) be pleased to state :

(a) whether there was any demonstration by the Railway employees before the gate of the local Divisional Superintendent's Office, Dhanbad, Bihar on 30th March, 1971 ; and

(b) whether a memorandum has been submitted to the Divisional Superintendent by the employees and if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) There was no demonstration before the office of the Divisional Superintendent, Dhanbad on 30th March 1971. However, there were two demonstrations on 26th March, 1971 - one by the Eastern Railwaymen's Congress and the other by another section of Railway employees of that Division.

(b) The Eastern Railwaymen's Congress submitted a memorandum containing certain general issues and these are being examined on merits.

The other section of the demonstrators also submitted a memorandum containing certain local issues like withdrawal of orders imposing break in service in respect of the employees who participated in the strike in Dhanbad Division from 3-2-1971 to 10-2-1971, withdrawal of court cases instituted against some employees in connection with the strike, revocation of orders of suspension in connection with the said strike, treatment of the period during the strike as special casual leave etc. These demands have been examined. Government could not concede them, as the action taken in these cases is in accordance with the normal operation of rules and regulations.

Arrest of Railway Employees at Katihar, Bihar

978. SHRI DINEN BHATTACHARYYA : Will the Minister of RAILWAYS (RAIL MANTRI) be pleased to state :

(a) whether a large number of innocent railway employees have been arrested at Katihar, Bihar in the name of Naxalites ;

(b) if so, whether Government have received any protest note or representation with regard to such arrests ;

(c) whether any action had been taken by Government thereon ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). No.

(c) and (d). Do not arise.

मध्य प्रदेश तथा औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्यों को लाइसेंस/आशय पत्रों का जारी किया जाना

979. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े हुए राज्यों में औद्योगिक विकास की नीति अपना रही है और क्या मध्य प्रदेश को पिछड़े हुए राज्यों में से एक समझा जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उन्नत राज्यों में उद्योगों को स्थापित करने के लिये ऐसी मदों के लिये जिनकी मध्य प्रदेश में भी स्थापना के एक आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये थे, कितने लाइसेंस/आशय-पत्र स्वीकृत किये गये ; और

(ग) इन उद्योगों की मध्य प्रदेश में स्थापना के लिये लाइसेंस/आशय-पत्र न जारी किये जाने के क्या कारण हैं और भविष्य में मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1968,1969 तथा 1970 के कलेंडर वर्षों में सभी प्रकार के लाइसेंसों के

लिए कुल आवेदन पत्रों की संख्या 905,1420 तथा 3033 थी जिसमें से नए औद्योगिक उपक्रमों के स्थापनार्थ आये आवेदन पत्र क्रमश: 374,563 तथा 1248 थे । अधिकांश आवेदन पत्र एक से अधिक वस्तुओं के बनाने के लिए हैं । प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से सम्बन्धित उत्पादवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है । ऐसी परिस्थिति में, आवेदन पत्र में दिये गये प्रत्येक उत्पदि की उन उत्पादों, जो विभिन्न राज्यों के लिए जारी किए आशय पत्रों/लाइसेंसों में दिये गये है, से तुलना में सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं है । फिर भी, राज्यवार 1968, 1969 तथा 1970 में विभिन्न राज्यो में नए औद्योगिक उपक्रमों के स्थापनार्थ जारी किए गये औद्यौगिक लाइसेसों/आशय पत्रो की संख्या दिखाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे गये है । [ग्रन्थालय में रख दिये गये देखिये सख्या LT–267/71]

(ग) उद्यमियों द्वारा स्वयं आवेदन पत्र देने पर ही औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए जाते है । औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों से, जिनके पास तुलनात्मक रूप में अवस्थापना की अधिक अच्छी सुविधाएं हैं, प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या निश्चय ही औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से अधिक है, अत: अधिकांश लाइसेंस औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों को दिए गये है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, दो या दो से अधिक आवेदन पत्रों में अन्य बातें समान होने पर औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्य से प्राप्त हुए आवेदन को वरीयता दी जाती है ।

मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों से से एक माना गया है । सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

1. इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के आवेदनों को आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में वरीयता दी जाती है । यह पहलू लाइसेंस समिति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दिया गया है ।
2. इन क्षेत्रों में उद्योगों को धन देने के लिये वित्तीय तथा ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा शर्तों में रियायत दी जाएगी ।
3. आंध्र-प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्यों के दो चुने हुए जिलों में तथा अन्य राज्यों एवं संघ राज्यों प्रत्येक के एक एक जिलो में जिन नए एककों का निर्धारित पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक रही है, के निर्धारित पूंजी निवेश का दसवां आग केन्द्र द्वारा सीधे अनुदान अथवा सहायता के रूप से दिया जाएगा, उन नए एककों में जिनमें निर्धारित पूंजी 50 लाख रु० से अधिक लगने की सम्भावना है, गुणावगुणो के आधार पर विचार किया जाएगा ।
4. इनमें से अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं के बारे में पहले ही विशेष सर्वेक्षण कराया गया है, और
5. उपर्युक्त के अलावा, जम्मू तथा काश्मीर, एव मेघालय, नागालैंड सीमित आसाम राज्यों में तथा मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेफा के संघ राज्यों में नए उद्योगों के मामले में कच्चे माल तथा तैयार माल की लागत का 50 प्रतिशत तक परिवहन सहायता देने की योजना आयोग की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।